इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 2016—चैत्र 2, शक 1938

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016

क्रमांक एफ–23–01 / 2016 / सा. / 19 ::– मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का सं.–8) की धारा 4 के साथ पठित धारा–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा बी.ओ.टी. (टोल+एन्युटी) स्कीम पर विकसित की जा रही नीचे दर्शायी सड़कों पर, मध्यप्रदेश उद्योगिक केन्द्र विकास निगम (ई.) लिमिटेड, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा मार्ग अथवा उसके भाग (अनुरूप भाग) हेतु जारी किये गये समापन प्रमाण पत्र की तारीख से मार्ग अथवा उसके भाग (अनुरूप भाग) पर प्रति फेरा प्रति यान आधार (पर ट्रिप पर वेहिकल बेसिस) पर निम्नलिखित मूलदरों पर पथकर उद्गृहीत करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है :–

अनु. क्र.	विववरण	पथकर की मूल दरें दिनांक 01.09.2007 से प्रभावी (रूपये प्रति किलोमीटर तथा प्रति फेरा)
1.	कार	0.35
2.	हल्के (वाणिज्यिक) वाहन	0.85
3.	बस	1.75
4.	ट्रक	2.11
5.	मल्टी एक्सल ट्रक	4.21

2. पथकर, मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम (ई.) लिमिटेड इन्दौर, द्वारा चयनित प्राइवेट विकासकर्ता या उनके अभिकर्ता द्वारा संगृहित किया जाएगा। प्रत्येक पथकर प्लाजा पर पथकर की दरें, उपरोक्त दरों के आधार पर, मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड इन्दौर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। पथकर प्लाजा तथा अनुरूप भाग की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम (ई.) लिमिटेड इन्दौर द्वारा जारी टेण्डर के अनुसार होगी।

3. उपरोक्त दरें प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ायी जाएगी तथा निकटतम 5 रूपये तक पूर्णांकित की जाएगी। प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की दरों को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से प्रभावी किया जायेगा। पथकर की मूल दर दिनांक 01.09.2007 को अधिसूचित मूल दर के अनुसार होगी। प्रतिवर्ष पथकर वृद्धि गणना निम्नानुसार सूत्र (उदाहरण) अनुसार की जायेगीः—

मूल थोक मूल्य सूचकांक

(दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के लिए) —थोक मूल्य सूचकांक (क)

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए —थोक मूल्य सूचकांक—थोक मूल्य सूचकांक (ख)

गणना सूत्र

$$\text{नवीन पथकर दर (दिनांक 08.02.2016 से)} = \text{मूल पथकर दर} \; \frac{\text{थोक मूल्य सूचकांक (ख)}}{\text{थोक मूल्य सूचकांक (क)}}$$

आगामी वर्षों हेतु भी गणना उपरोक्तानुसार नये वर्ष हेतु थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही की जायेगी। मूल थोक मूल्य सूचकांक 31 मार्च 2007 को समाप्ति वर्ष का ही लिया जायेगा।

4) लोकल ट्रेफिक पथकर के भुगतान से मुक्त रहेंगे। ऐसे वाहनों को मासिक पास समनुदानग्राही (कन्सेशनर) व्यक्ति द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे पास ऐसे पात्र वाहन मालिकों को, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, समनुदानग्राही द्वारा तथा रू. 50/— (रूपये पचास मात्र) के मासिक भुगतान करने के पश्चात् जारी किये जायेंगे, जो कि यह दरें प्रतिवर्ष 31 मार्च 2007 की समाप्ति वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन होने पर प्रत्येक वर्ष की 1 सितंबर से वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जाकर तथा निकटतम् 5/— रू. तक पूर्णांकित की जाएगी। इस छूट के प्रयोजन के लिए लोकल ट्रेफिक से वह ट्रेफिक अभिप्रेत होगा जो प्राइवेट कार/जीप अथवा समतुल्य वाहन से परियोजना राजमार्ग पर आवागमन करे तथा बशर्ते कि ऐसी प्राईवेट कार ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व की हो जो पथकर प्लाजा से 20 किमी. की दूरी के भीतर निवास करता हो परन्तु ऐसे वाहन को जो परियोजना राजमार्गों के एक भाग का तो उपयोग करता है, किन्तु एक से अधिक पथकर प्लाजा पार करता हो, लोकल ट्रेफिक नहीं समझा जाएगा। इसी प्रकार ऐसे समस्त लोकल ट्रेफिक से किसी पास की अपेक्षा नहीं होगी या उससे कोई फीस संगृहीत नहीं की जायेगी जो परियोजना राजमार्ग के एक भाग का तो उपयोग करते हैं किन्तु किसी पथकर प्लाजा को पार नहीं करते।

5. सर्विस लेन निर्मित होने पर लोकल ट्रेफिक और अन्य यान, सर्विस लेन का निशुल्क उपयोग करने के हकदार होंगे तथा समनुदानग्राही व्यक्ति, फीस के भुगतान करने के सिवाय जो कि इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार प्रयोज्य हो, परियोजना राजमार्गों पर ऐसे यान को प्रवेश देने से इंकार करने का हकादार होगा।

6. किसी मार्ग या उसके भाग (अनुरूप भाग) पर पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण (अनुरूप भाग) रियायत अनुबंध के उपबंधों के अनुसार परियोजना राजमार्ग के निर्माण की पूर्णता /अस्थाई पूर्णता से प्रारंभ होगा।

7. समनुदानग्राही व्यक्ति परियोजना राजमार्ग के प्रवेश स्थल पर और प्रत्येक पथकर–प्लाजा के दोनों ओर परियोजना राजमार्ग के दोनों तरफ से आने वाले उपयोगकर्ता की जानकारी के लिए लागू पथकर हिन्दी और अंग्रेजी में संप्रदर्शित करेगा।

8. **अप्राधिकृत संग्रहण :–**

(1) यदि समनुदानग्राही व्यक्ति किसी व्यक्ति से धन की ऐसी राशि संग्रहीत करता है जो इसके अधीन शोध्य और देय नहीं है तो समनुदानग्राही व्यक्ति संग्रहण की तारीख से वापसी की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए, इस प्रकार संग्रहीत रकम के 3 प्रतिशत की दर से संग्रहीत राशि के साथ इस प्रकार संग्रहीत रकम तुरंत ही नुकसानी के रूप में ऐसे व्यक्ति को वापस करने का दायी होगा। यथा पूर्वोक्त रीति से संगणित नुकसान के साथ ऐसी रकम के किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति को संदत्त न होने की दशा में उसे ऐसे संग्रहण की तारीख से 15 (पन्द्रह) दिनों की अवधि के भीतर, मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम (ई.) लिमिटेड इन्दौर में निक्षिप्त किया जायेगा।

(2) उप खण्ड (1) के अधीन समनुदानग्राही (कन्सेशनर) द्वारा देय रकम से संबंधित कोई विवाद परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम (ई.) लिमिटेड इन्दौर द्वारा लिखित में आदेश द्वारा निपटाया जाएगा और ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील, यदि कोई हो, परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के मुख्य अभियंता को होगी।

(3) पथकर के संग्रहण के संबंध में व्यथित कोई भी व्यक्ति परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले, मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के संभागीय प्रबंधक को अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। प्रबंध संचालक, 15 (पन्द्रह) दिनों की कालावधि के भीतर ऐसी शिकायत पर आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील, यदि कोई

हो परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड इन्दौर के मुख्य अभियंता को होगी।

9. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश औधोगिक केन्द्र विकास निगम (ई.) लिमिटेड इन्दौर द्वारा जारी की गई निविदा के अनुसार संपूर्ण रियायत कालावधि के लिए प्रभावी होगी।

10. राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियॉ इन सड़को को पार करते समय पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त रहेगी :-

1) भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान सरकारी कर्तव्य (ड्यूटी) पर हों।
2) संसद तथा विधानसभा के माननीय सदस्यों के यान।
3) समस्त यान जो भारतीय सेना के ड्यूटी पर हों।
4) एम्बुलेंस।
5) फायर बिग्रेड।
6) भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान।
7) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रैक्टर–ट्राली।
8) आटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियॉ।
9) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार।

टिप्पणी :- पथकर के भुगतान से इस प्रकार छूट प्राप्त यान/वैन का चालक (ड्रायवर) अपना नाम, रैंक तथा कर्तव्य (ड्यूटी), जिसमें वह लगा हुआ है, कथित करेगा

11. बी.ओ.टी. आधार पर विकास के लिए चयन की गई सड़कें जिन पर कि यह अधिसूचना लागू होगी निम्नानुसार है :-

सरल क्रमांक	मार्ग का नाम
1	फोरलेन राऊ–पीथमपुर सड़क मार्ग किमी. 0 से 13.826 किलोमीटर तक बी.ओ.टी. (टोल+ऐन्यूटी) आधार पर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. सी. भट्ट, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2016

पृ. क्र. एफ 23-01-2016-सा.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अंतर्गत, इस विभाग की असाधारण अधिसूचना क्र. एफ 23-01-2016-सा.-उन्नीस, दिनांक 22 मार्च 2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. सी. भट्ट, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd March 2016

No.F-23-01/2016/G/19. In exercise of the powers, conferred by Section-2 read with Section-4 of the Indian Tolls Act, 1851(No. VIII of 1851) in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government is pleased to grant sanction for levying toll on the following Basic Rates on the road shown as below, being developed on BOT on Toll + Annuity scheme, on a per trip per vehicle basis for road or part thereof (Homogeneous Section) with effect from the date of completion certificate for the road or part thereof (Homogeneous Section) issued by Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam(I) Ltd. Indore (M.P.)..

S.No.	Description	Basic Toll Rate effective from 01.09.2007 (Rs. per Km & per trip)
1	Car	0.35
2	Light Commercial Vehicle	0.85
3	Bus	1.75
4	Truck	2.11
5	Multi Axle Truck	4.21

2. The toll will be collected by private developer, or their agent, selected by Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam(I) Ltd. Indore (M.P.). The rates of toll on each toll plaza will be specified by Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam(I) Ltd. Indore (M.P.). on the basis of above Rates. The physical location of Toll Plaza and of Homogeneous Section will be as per the tender issued by MP Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd. Indore (M.P.).

3. The above rates will increase on every TollPlaza every year on the basis of Wholesale Price Index and will be rounded off to the nearest five rupees. The increase will be made effective from 1st

September every year, based on the Wholesale Price Index for the year ending 31st March. The Basic Toll Rates will be as per the rates notified to be effective as on 01.09.2007. The calculation of toll increase every year will be done as per the formula (example) given below :-

Basic Wholesale Price Index (For the year ending 31st March, 2007)	-	WPI (A)
Wholesale Price Index for the year Ended 31st March, 2015.	-	WPI (B)

Formula for calculation:

$$\text{New Toll Rate (w.e.f.08.02.2016)} = \text{Basic } \textbf{Toll Rate} \times \frac{\textbf{WPI(B)}}{\textbf{WPI (A)}}$$

For the coming years, the calculations will be done as per the above based on new Wholesale Price Index for new years. Basic Wholesale Price Index will be of the year ending 31st March, 2007.

4. Local Traffic will remain exempted from payment of toll. Such vehicles will be issued monthly passes by the Concessionaire. Such passes will be issued to eligible vehicle owners, by the Concessionaire, on production of necessary documents and after payment of monthly fee of Rs. 50.00 (Rupees Fifty only) to be revised annually applicable from 1st September of every year to reflect the variation in WPI as compared to WPI of year ended March, 31, 2007 and then rounded off to nearest five rupees. For the purpose of such exemption, Local Traffic will mean the traffic on account of commuting by a private Car/Jeep or equivalent vehicle by means of the Project Highway; provided that such private Car is owned by a person who resides within a distance of 20 (twenty) Km. from the Toll Plaza.; provided that any vehicle that uses the part of Project Highway but crosses more than one Toll Plaza will not be reckoned as Local Traffic. Similarly no passes will be required or fee will be collected from such Local Traffic that uses part of the Project Highway and does not cross a Toll Plaza.

5. Upon construction of service lanes, the Local Traffic and other vehicles shall be entitled to free use of Service lanes and Concessionaire shall be entitled to refuse entry of such vehicles on Project Highway except for upon payment of fee, as is applicable as per the terms of this notification.

6. Levy and collection of toll on the road or part thereof (Homogeneous Section) shall commence upon completion/ provisional completion of construction of the Project Highway, in accordance with the provisions of the Concession Agreement.

7. The Concessionaire shall, near the entry point of the Project Highway and near the each Toll Plaza on both sides, prominently display the applicable toll charges for information of users approaching from either side of the Project Highway in both Hindi & English.

8. **Unauthorized Collection**

(1) In the event that a Concessionaire collects from any person a sum of money not due and payable hereunder, the Concessionaire shall be liable to refund to such person forthwith the amount so collected along with a sum computed @ 3 % (three percent) of the amount so collected, for each day from the date of collection till the date of refund, by way of damages. In the event that such amount together with damages computed in the manner as aforesaid is not paid to such person for any reason whatsoever, the same shall be deposited with MPAKVN(I)ltd. within a period of 15 (fifteen) days from the date of such collection.

(2) Any dispute relating to amounts payable by the Concessionaire under Sub-clause 8.1 shall be settled by the Managing Director, MPAKVN(I)Ltd. Indore having jurisdiction over the Project Highway, by an order in writing and appeal, if any, against such order shall lie with the Managing Director, MPAKVN (I) Ltd. Indore having jurisdiction over the Project Highway.

(3) Any person aggrieved in connection with the collection of toll may lodge a complaint to the Managing Director, MPAKVN (I) Ltd. Indore having jurisdiction over the Project Highway. The Managing Director, MPAKVN (I) Ltd. Indore shall pass order on such complaint within a period of 15 (fifteen) days and appeal, if any, against such order shall lie with the Managing Director, MPAKVN (I) Ltd. Indore having jurisdiction over the Project Highway.

9. This notification will be effective for the entire concession period as per the tender issued by MP Audyogik Kendra Vikas Nigam(I) Ltd. Indore (M.P.).

10. The State Government further declares that following categories of vehicle will be exempted from payment of toll while crossing these roads.

1) All vehicles belonging to the Government of India, Government of Madhya Pradesh and those on Government duty.

2) Vehicle belonging to the Hon'ble Member of Parliament and Member of Legislative Assembly.

3) All vehicles belonging to the Indian Army on duty.
4) Ambulances
5) Fire Brigades
6) Vehicles belonging to the Indian Posts and Telegraph Department
7) Tractor-Trolleys used for agriculture purpose.
8) Auto Rickshaws, Two wheeler and bullock carts.
9) Freedom fighters and Accredited Journalists.

Note: The driver of the vehicle/van so exempted from payment of toll shall state his name, rank and name of duty on which he is engaged.

11. The roads selected for development on BOT basis, on which this notification shall apply are as given below:

S.No.	Name of Road
1	Four Lanning of Rau-Pithampur Road section of 13.826 Km on BOT (Toll+Annuity) Basis. (K.m. no.0.00 to K.m. 13.826 K.m.)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. C. BHATT, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.